

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]

नई बिल्ली, मंगलबार, अर्थ 31, 1992/खेंब्र 11, 1914

No. 150] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 1992/CHAITRA 11, 1914

इ.स. भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती ही जिससे कि यह अहग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भतल परिवहन मन्नालय

(पत्तन पक्ष)

प्रधिसुचना

नई दिल्ली, 31 मार्चे, 1992

सा का. नि. 384(म्र):—केट्रीय सरकार, महावत्तन न्यास मित्रिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पित्रत उपधारा (1) द्वारा प्रकृत शिक्तियों का प्रयोग करने हुए एनद्वारा निम्निवित्र नानिका में कम सं. 1 से 11 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को बम्बई पत्तन के न्यासी मंडन में न्यापी निमृत करतों है नया उत्त नानिका में कम सं. 12 से 17 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त महत में चूने गये नावियों के क्या में प्रविन्तित करतों है

नालिका

- 1. प्रध्यक्ष
- 2. उपाध्यक्ष
- 3. सिव (I), शहरी विकास, महाराष्ट्र सरकार I
- 4. संयुक्त सचिव (पत्तन), जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
- महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्य करते के लिये जल-मृतल परिवहन मंद्रातय का प्रतिविधित्य करते के विधे

(1)

854 GI/92

5.	सीमा	शुस्क	कलक्टर,	सम्बर्ध
----	------	-------	---------	---------

- वीफ स्टाफ धाफिरार मार्फत एलैंग ग्राफिसर कमांशिय, महाराष्ट्र क्षेत्र
- मुख्य परिचालन प्रधीक्षक, सेंट्रल रेलवे, बम्बई
- 8. निर्देशक (मार्केटिंग प्रभाग), भारतीय तेल निगम लि ... बम्बर्ध
- संयुक्त प्रबंध निदेशक (लाईनर सेवाएं), भारतीय नौबहन निगम लि., बम्बई
- 10. डा. मान्ति पटेल
- 11. श्री एस ग्रार कुलकर्णी
- 12 श्री रामृ एस देओरा]
- 13. श्री बी एम पारेख 🧗
- 14 श्री ए एस कसलीवाल
- 15. थी ग्रार श्री निवासन
- 16. श्री दिनेश के लाल !
- 17. श्री बी बी हवास

सीमा गुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिये रक्षा सेवाओं-नीरोना का प्रतिनिधित्व करने के लिये

भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिये

भारतीय तेल निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिये

भारतीय नौवहन जिगम लि. का प्रतिनिधित्य करते के जिथे

पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिये
पत्तन में नियुक्त श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिये
ग्राल इंडिया शिपर्स कौंसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिये
इंडियन नेशनल शिपग्रानमें एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिये
महाराष्ट्र चैम्बर श्राफ कामर्स एण्ड इडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिये
बम्बई कस्टम हाउस एजेन्ट्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने

बम्बई चैम्बर्स ग्राफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिये बम्बई स्टीबीडोर्स एसोसिएणन लि. का प्रतिनिधित्व करने ें लिये

2 यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1992 से प्रभावी होगी।

[फा.सं. पी टी-18011/3/91-पी टी] श्रशोक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1992

G.S.R. 384 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) read with Sub-Section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 11 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Bombay and notifies the persons mentioned against serial numbers 12 to 17 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

TABLE-1

- 1. Chairman
- 2. Dy. Chairman
- 3. Secretary (I), Urban Development, Govt. of Maharashtra.
- 4. Joint Secretary (Ports), M/o Surface Transport.
- 5. Collector of Customs, Bombay.
- Chief Staff Officer C/o Flag Officer Commanding, Maharashtra Area.
- 7. Chief Operating Superintendent, Central Railway, Bombay.
- Director (Marketing Division), Indian Oil Corporation Ltd., Bombay.
- Joint Managing Director (Liner Services), Shipping Corporation of India, Bombay.
- 10. Dr. Shanti Patel
- 11. Sh. S.R. Kulkarni

- -Representing Govt. of Maharashtra.
- -Representing M/o Surface Transport.
- ... Representing Customs Department.
- Representing Defence Services—Navy.
- -Representing Indian Railways.
- —Representing Indian Oil Corp. Ltd.
- Representing Shipping Corporation of India Ltd.
- ... Representing the Labour employed in the Port.
- -Representing the Labour employed in the Port,

- 12. Sh. Ramu S. Deora
- 13. Sh. V.M. Parekh
- 14. Sh. A.S. Kasliwal
- 15. Sh. R. Srinivasan
- 16. Sh. Dinesh K, Lal
- 17. Sh. B.B. Dubash

- Representing the All India Shippers Council.
- _Representing the Indian National Shipowners Association.
- Representing the Maharashtra Chamber of Commerce and Industry.
- -Representing the Bombay Customs House Agents Association,
- -- Representing the Bombay Chamber of Commerce and Industry,
- Representing the Bombay Stevedores Association Ltd.
- 2. This notification shall come into force on the 1st date of April, 1992,

[F.No. PT-18011/3/91-PT ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1992

सा.का.नि. 385 (भ्र):—केस्प्रीय सरकार, महापत्तन न्यास प्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपवार (6) के साथ पिटत उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करने हुए एतव्द्वारा निम्नलिखित लालिका में ऋम सं. 1 से 14 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कलकत्ता पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में ऋम संख्या 15 से 19 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुते गये न्यासियों के क्या में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

तालिका

- 1. ग्रध्यक्ष
- 2. उपाध्यक्ष (कलकत्ता पत्तन न्यास)
- 3. उपाध्यक्ष (हल्दिया डाक काम्प्लेक्स)
- सचित्र, परिवहन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार
- सीमा शुल्क कलक्टरः कलकसः
- सयुक्त सचिव (पक्तन), जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
- नेबल ग्राफिसर इन्चार्ज, कलकत्ता
- प्रमुख परिचालन अधीक्षक, दक्षिणी पुत्री रेलवे
- 9. श्री हेम लाल चटर्जी
- 10. श्री जानकी मुकर्जी
- 11. क्षेत्रीय महाप्रबंधक, भारतीय नौबहन निगम लि .. कलकला
- 12. भारतीय तेल निगम लि. जलकता
- 13. प्रध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक, केन्द्रीय अन्तर्वेणीय जल परिवहन निगम, कलकत्ता
- 14. ग्रध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, भारतीय सड़क निर्माण निगम
- 15. श्री संजय मैन
- श्री एच पी नोपानी
- 17. श्री जे पी षौधरी

पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतितिश्चित्व करने के लिये
सीमा शुल्क विभाग का प्रतितिश्चित्व करने के लिये
जल-भूतल परिषहन मंत्रालय का प्रतितिश्चित्व करने के लिये
रक्षा सेवाएं—-नौसेना का प्रतितिश्चित्व करने के तिये
भारतीय रेलवे का प्रतितिश्चित्व करने के लिये
पत्तन के श्चमिकों का प्रतिनिश्चित्व करने के लिये
भारतीय नौबहन निगम लि. का प्रतिनिश्चित्व करने के लिये
भारतीय नौबहन निगम लि. का प्रतिनिश्चित्व करने के लिये

भारतीय सड़क निर्माण निगन का प्रतिनिधिस्य करते के लिये

केन्द्रीय ग्रन्तर्देशीय जल परिवहन निगम का प्रतिनिधिस्व करने के लिये

याल इंडिया शिपर्स कोंसिल का प्रतिनिधिस्त्र करने के लिये नौबहन हित एसोसिएशन, कलकता का प्रतिनिधित्व करने के लिये इंडियन चैम्बर्स श्राफ कामर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिये 18. श्री डी एस बोस

19. श्री समीर कुमार घोष

बंगाल चैम्बर श्राफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिये बंगाल नेशनल चैम्बर झाफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिये

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1992 से प्रभावी होगी ।

[फा.सं. पी टी-18011/4/91-पी टी] श्रमोक जोमी, संयुक्त सन्विय

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1992

G.S.R. 385 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) road with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government here by appoint the persons mentioned against serial numbers 1 to 14 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Calcutta and notifies the persons mentioned against serial numbers 15 to 19 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

TABLE

Chairman Dy. Chairman (Calcutta Port Trust)

3. Dy. Chairman (Haldia Doek Complex)

4. Secretary, Transport Deptt., Govt. of West Bengal. __Representing the Govt. of West Bengal.

5. Collector of Customs, Calcutta. —Representing Customs Department.

6. Joint Secretary (Ports), Ministry of Surface Transport.
7. Naval Officer-in-Charge, Calcutta.

—Representing Ministry of Surface Transport.

—Representing Defence Services—Navy.

8. Chief Operating Superintendent, Sourth Eastern Railway. —Representing Indian Railways.

9. Shri Hemlal Chatterjee — Representing the labour employed in the Port.

10. Shri Janaki Mukherjee — Representing the labour employed in the Port.
 11. Regional General Manager, Shipping Corporation of India

Ltd., Calcutta.

Representing Shipping Corporation of India Ltd.

Representing Indian Oil Corporation Ltd., Calcutta.

Representing Indian Oil Corporation Ltd.

13. Chairman-Cum Managing Director, Central Inland Water —Representing the Central Inland Water Transport Corporation

Ltd. Calcutte

Transport Corporation Ltd. Ltd., Calcutta.

14. Chairman-Cum-Managing Director, Indian Road Construc-

tion Corporation.

Representing the Indian Road Construction Corporation Ltd.

15. Shri Sanjoy Sen

Representing the All India Shippers Council.

16. Shri H.P. Nopany — Representing the Association of Shipping Interests, Calcutta.

17. Shri J.P. Chowdhary -- Representing the Indian Chamber of Commerce

18. Shri D.S. Bose

Representing the Beneal Chamber of Commerce

Representing the Bengal Chamber of Commerce & Industry, Calcutta.

19. Shri Samir Kumar Ghosh

—Representing the Bengal National Chamber of Commerce & Industry, Calcutta.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[File No. PT-18011/4/91-PT] ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

प्रधिसचना

नर्ड दिल्ली, 31 मार्च, 1992

सा.का.नि. 386(म्र):—केन्द्रसरकार, महापत्तन न्यास मधिनियम, 1963 (1963का 38) की बारा 3 की उपधारा (6) के साथ पिठत उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त मिक्तयों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्निलिखन तालिका में क्रम मंख्या 1 से 12 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कोचीन पत्तन केन्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है और उक्त तालिका में क्रम मं. 13 से 16 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड के चुने हुए न्यासियों के स्वपं में अधिस्वित करती है, अर्थात् :---

तालिका

- 1. श्रध्यक्ष
- 2. उपाध्यक्ष
- 3. पत्तनों के प्रभारी सिवव केरल सरकार
- संयुषत सचिव, नौवहन जल-भूतल परिवहन मंद्रालय
- 5. सीमा शुल्क समाहर्ता कोचीन
- 6. नेवल आफिमर इत्वाज कोचीन
- 7. प्रभागीय रेलवे प्रबन्धक, दक्षिणी रेलवं, त्रिवेंद्रम प्रभाग
- 8. अध्यक्ष, मैरीन प्रोडक्ट्स एसक्पोर्ट डेक्लपमेंट अथौरिटी
- 9. श्रध्यक्ष एवं प्रवन्ध निवेशक, कोचीन रिफाइनरीज लि.
- 10. श्री वशालर रवि
- 11. श्री के पी एस मैनन
- 12. श्री एम ए पदमसी
- 13. श्री डी एस बिष्ट
- 14. श्री के जो जोसे
- 15. श्री रियाज ग्रहमद
- 16. बी के ए वर्गीज

केरल सरकार का प्रतिनिधित्य करने के लिये जल-भूतल परिवहन मंद्राजय का प्रतिनिधित्य करने के लिये सीमा भुल्क विभाग का प्रतिनिधित्य करने के लिये रक्षा मेद्याओं --गौसेना का प्रतिनिधित्य करने के लिये भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्य करने के लिये मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट खेयलपमेंट अयौरिटी का प्रतिनिधित्य करने के लिये

कोचीन रिफाइगरीज लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिये
पत्तन में लगे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिये
पत्तन में लगे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिये
''अन्य हितों'' का प्रतिनिधित्व करने के लिये
भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिये
कोचीन चैम्बर ग्राफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिये
इंडियन चैम्बर ग्राफ कामर्स एड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिये
साउथ वैस्टर्न इंडिया शिपर्स एसोसिएगन का प्रतिनिधित्व करने के लिये

2. यह अधिसूषना । अप्रैल, 1992 से लागू होगी।

[फा.सं. पी टी-18011/5/91-नी टी] श्रशोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

Ne Delhi, the 31st March, 1992

G.S.R.386(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sec, (1) read with sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government here by appoints the persons mentioned serial numbers i to 12 in the Table belowto be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Cochin and notifies the persons mentioned against serial numbers 13 to 16 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

TABLE

- 1. Chairman
- 2. Dy. Chairman
- 3. Secretary in Charge of Ports, Govt. of Kerala
- 4. Joint Secretary (Shipping) Min. of Surface Transport
- 5. Collector of Customs, Cochin
- 6. Naval Officer-in-Charge, Cochin
- Divisional Railway Manager, Southern Rly., Trivandram Division
- 8. Chairman, Marine Products Export Development Authority
- 9. Chairman & Managing Director, Cochin Refineries Ltd.
- 10. Shri Vyalar Ravi
- 11. Shri K.P.S. Menon
- 12. Shri M.A. Padamsee
- 13. Shri D.S. Bist

- .- Representing the Govt. of Kerala,
- —Representing the Min. of Surface Transport.
- -Representing the Customs Department.
- -Representing Defence Services, Navy.
- Representing the Indian Railways,
- -Representing the Marine Products Export Development Authority
- Representing the Cochin Refineries Ltd.
- . Representing the Labour employed in the Port.
- Representing the Labour employed in the Port.
- -Representing 'Other Interests'.
- -Representing the Indian National Shipowners Association,

- 14. Shri K.J. Jose
- 15. Shri Riaz Ahmed
- 16. Shri K.A. Varghese

- _Representing the Cochin Chamber of Commerce & Industry.
- Representing the Indian Chamber of Commerce & Industry.
- Representing the South Western India Shippers Association.
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1972.

[F:No.PT_18011/5/91_PT] ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

ग्रधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1992

सा.का.िन. 387(ग्र).—केन्द्र सरकार, महापरतन न्यास ग्रिधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतव्हारा निम्नलिखित तालिका में कम संख्या 1 से 11 के सामने उिल्लिखित व्यक्तियों को कांश्रला परतन के न्यासी बोर्ड में न्यासी नियुक्त करती है ग्रीर उक्त तालिका में कम संख्या 12 से 15 के सामने उिल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड के चुने हुए न्यासियों के रूप में भिधसूचित करती है ग्रीयां :—

तालिका

- 1. झध्यक्ष
- 2. उपाध्यक्ष
- संख्यः
 सङ्कं तथा भवन विभागः
 गुजरात सरकार
- निवेशक (नीवहन), जल-मृतल परिवहन मद्भालय
- 5. सीमा शुस्क कलक्टर, कांडला
- 6. नेबल ग्राफिसर इन्यार्ज, सौराष्ट्र
- 7. क्षेत्रीय प्रधीक्षक पश्चिमी रेलवे, गांधी धाम
- 8. कार्यकारी निदेशक, तेल समन्थय समिति, नई विल्लो
- मुख्य विपणन प्रबन्धक,
 राज्य अयापार निगम, कांडला
- 10. श्री मनोहर जी. कोतवाल
- 11. श्री एम के ग्रश्वनी
- 12. श्री चम्पालाल जी, पारख
- 13, श्री एस एस रांगनेकर
- 14. श्री जगदीश एस झाबेरी 🔻
- 15. श्री मनफूल जोपड़ा
 - 2. यह श्रधिसूचना । श्रप्रैल, 1902 से लागू होगी।

- ---गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- -- जल-भूतल परिवह्न मंद्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- --सीमा गुरूक विभाग का प्रतिनिधिस्य करने के लिए
- --रक्षा सेवाभ्रों (नौसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- --भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- --भारतीय तेल निगम लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- ---राज्य व्यापार निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- ---परतन में लगे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- --परतन में लगे अमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- ---गांधीधाम चेम्बर श्राफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्वकरने के लिए
- --भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ का प्रतिनिधित्व करने के के लिए
- ---गुजरात चैम्बर श्रॉफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- ---पंजाब-हरियाणा-दिल्ली चेम्बर श्राफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।

[फा. मं. पी टी--18011/6/91-पी टी] श्रशोक जोशी, संयुक्त सचिव

MOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1992

G.S.R.378(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 11 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Kandla and notifies the persons mentioned against serial numbers 12 to 15 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely --

1	Chairmen.

- 2. Dy. Chairman
- 3. Secretary, Roads & Building Deptt., Govt. of Gujarat.
- 4. Director (Shipping), Min. of Surface Transport.
- 5. Collector of Customs, Kandla,
- 6. Naval Officer-in-Charge, Saurashtra.
- Area Superintendent, Western Railways, Gandhidham.
- 8. Executive Director. Oil Coordination Committee, New Delhi. -- Representing Indian Oil Corporation Ltd.
- 9. Chief Marketing Manager, State Trading Corporation. Kandla.
- 10. Shri Manohar G. Kotwal.
- 11. Shri M.K. Aswani.
- 12. Shri Champalal G. Parakh,
- 13. Shri S.S. Rangnekar.
- 14. Shri Jagdish S. Jhaveri.
- 15. Shri Man Phool Chopra.

- ...Representing Govt. of Gujarat.
 - Representing Min. of Surface Transport.
-Representing Customs Department.
- -Representing Defence Services (Navy).
- Representing Indian Railways.
- Representing State Trading Corporation.
- Representing the Labour employed in the Port.
 - Representing the Labour employed in the Port.
- ... Representing the Gandhidham Chamber of Commerce and Indus-
- _ Representing the Indian National Shipowners Association.
- Representing the Gujarat Chamber of Commerce and Industry,
- Representing the Punjab-Haryana-Delhi Chamber of Commerce and Industry.
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[File No. PT-18011/6/91-PT] ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1992

सा. का. नि. 388(म्र). - केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास श्रधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 3की उपधारा (e) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त मक्तियों का प्रयोग करते हुए एतवद्वारा निम्नलिखित तालिका में कम सं. 1 से ा। तथा 17 से 19 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को मद्रास पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है तथा अक्त तालिका में कम सं. 12 से 19 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए न्यासियों के रूप में श्रिधिसूचित करती है। यथा :--

नासिका

- 1. ग्रध्यक्ष
- उपाध्यक्ष
- परिवहन श्रायुक्त एवं मिलवा तिमलनाड् मरकार
- 🦦 ग्रपर सचिव व वित्त सलाहकार
- सीमा शुल्क कलक्टर, मद्रास
- नेवल आफीसर इन्बार्ज, भद्रास
- 7. मुख्य प्रचालन अधीक्षक, दक्षिणी रेलवे, मद्रास
- 8. श्री एस सी सी एन्योनी पिल्ले
- 9. श्रीजी. कृष्णन

- —तमिलनाडू सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
- -जल-मृतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
- –सीमा गुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
- ---रका सेवाफ्रों---नौसेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- ---भारतीय रेलवे का प्रतिनिधिस्व करने के लिए ।
- ---पत्सन पर नियोजिस श्रमिकों का प्रतिमिधित्व करमे के लिए ।

- 10. श्री एस भार वेंकटाचलम
- संयुक्त प्रबन्धक निदेशक (सटीय एवं यात्री सेवाएं), भारतीय नौबहन निगम
- 12. श्रीके, शंकर
- 13. श्री बी. ग्रार. दुजारी
- 14. श्री एम. बालाजी
- 15. श्री के. सी. रमन
- 16. श्री अधिवन सी. एम. उथाष्ट
- अध्यक्ष व प्रबन्धक निवेशक, मधास रिफाइनरी लिमिटेड, मदास
- 18. मेम्बर जेनेरेशन निवासङ्ख्यान बोर्ड
- 19. महाप्रबन्धक, एम.एम.टी.सी. श्राफ इंडिया लि.
 - 2. यह मधिसूचना 1 श्रप्रेल, 1992 से प्रभावी होगी।

- --भा. नौ. नि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- —-इंडियन नेणनल शिपग्रोनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- --भाल इंडिया शिपर्स कौसिल का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- --हिन्दुस्तान चेम्वर प्रांफ कांभर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- —मद्रास चेम्बर्स भ्राफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री का प्रतिनिधितः करने के लिए।
- --सदर्न इंडिया चेम्बर्स श्राफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री का प्रतिनिधिय्व करने के लिए।
- -- मद्रास रिफाइनरी लि., मद्रास का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- ---तिमलनाडू विद्युत् बोर्ड का प्रतिनिधिस्य करने के लिए ।
- ---खनिज एवं धातु व्यापार निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए

[फा. सं. पीटी-18011-7/91-पीटो] स्रमोक जोशी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1992

G.S.R.388(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 11 and 17 to 19 in the table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Madras and notifies the persons mentioned against serial numbers 12 to 16, in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

TABLE

- 1. Chairman
- 2. Dy. Chairman
- Commissioner & Secy. (Transport Deptt.) Govt., of Tamilnadu.
- 4. Additional Secretary and F.A.
- 5. Collector of Customs, Madras.
- 6. Naval Officer-in-Charge, Madras.
- 7. Chief Operating Superintendent, Southern Railway, Madras.
- 8. Shri S.C.C. Anthony Pillai.
- 9. Shri G. Krishnan
- 10. Sh. S.R. Venkatachalam
- 11. Joint Managing Director (Coastal and Passenger Services), Shipping Corporation of India.

- ---Representing the Govt. of Tamil Nadu.
- -Representing the Min. of Surface Transport.
- -Representing Customs Department.
- -Representing the Defence Services (Navy).
- -Representing the Indian Railways.
- -Representing Labour employed in the port,
- -Representing 'Other Interests'.
- -Representing the Shipping Corporation of India.

- 12. Shri K. Shankar
- 13, Shri B.R. Dujari
- 14. Shri M. Balaji
- 15. Shri C. Raman
- 16. Shri Ashwin C.M. Uthaiah
- 17. Chairman & Managing Director, Madras Reflueries Limited,
- 18. Menber Generifon, Tan'l Nida, Electricity Board.

- 1). General Manney, Mannels & Metals Teating Corporation. Representing Minerals & Metals Teating Corporation.

- -Representing the Indian National Shipowners' Association.
- Representing the All India Shippers' Council.
- Representing Hindustan Chamber of Commerce, Madras.
- -Representing Madras Chamber of Commerce & Industry.
- ---Representing Southern India Chambers of Commerce & Industry
- -Representing Madras Refineries Limited.
- -Representing Tamil Nadu Electricity Board.
- 2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[File No. PT-18011-7/91-PT] ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

श्रधिसूचना

नई विल्ली, 31 मार्च, 1992

सा. का. नि. 389 (म).--केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास श्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका में कम सं. 1 से 12 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को मुरगांव पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है तथा उक्त तालिका में कम संख्या 13 से 17 के सामने उहिलाखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चने गए न्यासियों के रूप में प्रशिक्तचित करती है, प्रशिंत :—

तालिका

- 1. श्रध्यक्ष
- 2. उपाध्यक्ष
- 3. सचिव (ग्राई डब्स्य टी) गोवा
- 4. निदेशक (पीटी)
- सीमा शस्क कलक्टर, गोवा
- 6. गोवा क्षेत्र के फ्लैंग भाफीसर कमान का बीफ स्टाफ श्राफीसर ।
- 7. प्रभागीय रेलवे प्रबन्धक, दक्षिण मध्य रेलवे, हबली
- 8. महाप्रबन्धक, पश्चिमी क्षेत्र, भारतीय तेल निगम, बम्बई
- ्9. उपमहाप्रबंधक, मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन, `गोवा
- 10. श्री एस ग्रार कुलकर्णी
- 11. श्री एस के गेंटी
- 12. श्री मुकेश जैन
- 13. प्रतिनिधि, भुरगांव शिप्स एजेन्द्रस एसोसिएमन ।
- 14. श्री एस भ्रार ठक्कर

- ---गोवा सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
- —-जल-भुतल परिथहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- ---सीमा शुरुक विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
- ---रक्षा सेवाओं (नीसेना) का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
- →भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
- --भारतीय तेल निगम का प्रतिनिधित्य करने के लिए।
- ----मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारगोरेशन ऑफ इंडिया लि. का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- --पत्तन में लगे श्रमिकों का प्रतिविधिश्व करते के लिए ।
- ---पत्तन में लगे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
- ग्रन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
- -मुरगांव शिप्स **एजेन्ट्**स एसोसि**ए**शन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- ---देडियन नेशनल शिपभोनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिक्ष करने लिए ।

15. श्री शिवनंद वी. सालगाओकर	गोवा धातु ग्रयस्क निर्यातक मंत्र, गोत्रा का प्रतिविधित्य करने के लिए।
18. श्री रामनाथ जी खरै	—-गोवा चैम्बर भ्राफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
17. श्री पी. सुरेश नायक	—गोवा बार्ज ओनर्स एसोसिएणन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
5 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 2	

2. यह घिसूचना 1 अप्रैल, 1992 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. पीटी-18011/8/91---पीटी] श्रशोक जोसी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1992

G.S.R. 389(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 12 in the table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Morangao and notides the persons mentioned against serial numbers 13 to 17, in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

TABLE 1. Chairman 2. Dy. Chairman 3. Secretary (IWT) Government of Goa. —Representing the Government of Goa. -Representing the Ministry of Surface Transport. 4. Director (PT) --- Representing Deptt, of Customs. 5. Collector of Customs, Goa. 6. Chief Staff Officer to the Flag Officer Commanding, Goa, -Representing Defence Services --- Navy. 7. Divisional Railway Manager, South Central Railways, Hubli. —Representing Indian Railways. 8. General Manager, Western Region, Indian Oil Corporation, -Representing Indian Oil Corporation. Bombay. -Representing Mineral and Metals Trading Corporation of India 9. Deputy General Manager, Mineral and Metals Trading Ltd., Goa. Corporation, Goa. -Representing the labour employed in the Port. 10. Shri S.R. Kulkarni -Representing the labour employed in the Port. 11. Shri S.K. Shetye -Representing 'Other Interests'. 12. Shri Mukesh Jain -Representing Mormugao Ships' Agents Association. 13. Representative, Mormugao Ship's Agents Association. 14. Shri S.R. Thakker -Representing the Indian National Shipowners Association. -Representing the Goa Mineral Ore Exporters' Association, Goa, 15. Shri Shivanand V. Salgaocar 16. Shri Ramnath G. Khare -Representing the Goa Chamber of Commerce & Industry, Goa. -Representing the Goa Barge Owners' Association, Goa. 17. Shri P. Suresh Nayak

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[File No. PT—18011-8/91—PT] ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

श्रधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1992

सा का नि. 390(म्).—केन्द्रीय सरकार, महापत्सन स्थास मधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त समित्रमों का मयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका में ऋग सं. 1 से 12 के सामने उस्लिखित व्यक्तियों को पारावीप पत्तन के न्यासियों के मंडल में न्यासी नियुक्त करती हैं तथा उक्त तालिका में ऋग सं. 13 से 15 के सामने उस्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने हुए न्यासियों के रूप में मधिस्थित करती है, ग्रथीत् :---

तालिका

- 1. ग्रध्यक्ष
- उपाध्यक्ष
- 3. सचिव, उडीसा सरकार
- विकास सलाहकार (परतन)
- 5. सीमा शस्क कलक्टर, भवनेग्वर
- प्रभागीय रेखने प्रबन्धक, खर्दा प्रभाग, क्षक्षण पूर्वी रेलवे
- 7. नेवल भ्राफिसर ईंचार्ज
- श्री सुधाकर मंत्री
- 9. श्री पचनन कानुनगो
- 10. भहाप्रबन्धक, एम.एम.टी.सी., कटक ।
- 11. प्रमुख ग्राभियंता (कोयला) तमिलनाडु बिजली बोर्ड
- 12. भारतीय तेल निगम के प्रतिनिधि
- 13. श्री जी.बी.के. श्रीराममूर्ति
- 14. श्री बी. पी. मोहन्ती
- 15. श्री एन पटनायक

- —उडीसा सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- ––जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
- सीमा शुल्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
- --भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- ---रक्षा सेवाएं (नौ सेना) का प्रतिनिधिस्व करने के लिए।
- ---पस्तन में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
- ----पत्तन मे कार्यरत श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते के जिए ।
- ——खनिज एवं धातु व्यापार निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- ---तमिलनाषु बिजली बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- -- भारतीय तेल निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
- ---इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- —उड़ीसा के चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- --- उत्कल चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए 🕕

2. यह श्रिधसूचना 1 श्रवैल, 1992 से प्रमावी होगी ।

[फा. सं. पी टी-18011/9/91-पी टी] श्रशोक जोशी, संयक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1992

G.S.R.390(E),....In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 12 in the table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Paradip and notifies the parsons mentioned against serial numbers 13 to 15, in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:-

TABLE

- Chairman
- § 2. Dy. Chairman
- 3. Secretary, Government of Orissa.
- 4. Development Adviser (P)
- 5. Collector of Customs, Bhubaneswar.
- 6. Divisional Railway Manager, Khurda Division, South-Eastern Railway.
- 7. Naval Officer-in-Charge

- -Representing the Government of Orissa.
- -Representing the Ministry of Surface Transport.
- -Representing the Customs Department.
- -Representing the Indian Railways.
- -- Representing the Defence Services (Navy).

854 GI/92-3

- 8. Shri Sudhakar Mantry
- 9. Shri Panchanan Kanungo
- General Manager, Mineral and Metal Trading Corporation, Cuttack.
- 11. Chief Engineer (Coal) Tamil Nadu Electricity Board.
- 12. Representative of Indian Oil Corporation,
- 13. Shri G.V.K. Srirama Murty
- 14. Shri B.P. Mohanty
- 15. Shri N. Patnaik

- -Representing the labour employed in the Port.
- -Representing the labour employed in the port.
- -Representing the Mineral and Metal Trading Corporation.
- -Representing the Tamil Nadu Electricity Board.
- -Representing the Indian Oil Corporation.
- -Representing the Indian National Shipowners' Association.
- -Representing the Orissa Chamber of Commerce and Industry.
- ---Representing the Utkal Chamber of Commerce and Industry.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1992.

[File No. PT-18011/9/91-PT] ASHOK JOSHI, Jt. Seey.

श्रधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1992

सा. का. नि. 391(अ).—केन्द्रीय सरकार महापत्ता न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शिक्तियों का प्रधाय करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखिन तालिका में कम सं. 1 से 14 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को विशाखापत्तनम पत्ता है न्यालियों के मंडत में न्यासो नियुक्त करती है तथा उक्त नालिका में कम सं. 15 से 17 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त मंडल में चुने गए न्यासियों के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

तालिका

- 1. मध्यक्ष
- 2. उपाध्यक्ष
- प्रमुख सचिव, परिवहन सङ्क, श्रोर निर्माण विभाग, श्रीध प्रवेश सरकार
- उप सचिव (पीडी) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
- सीमा शुल्क के प्रतिरिक्त कलक्टर, विशाखायकनम
- प्रभागीय रेलवे प्रबन्धक, थालटेयर विण(खापतनम दक्षिण पूर्वी रेलवे
- 7. नेवल आफिसर इन्चार्ज, विशाखापत्तनम
- महाप्रधन्धक, हिन्दुस्तान पँद्रोलियम कारपोरेशन वि., विशाखापत्तनम
- उप महाप्रबन्धक, एम एम टी सी, विशाखापत्तनम
- 10. मुख्य अभियंता (कोथला) तमिलगाडु विजली बोर्ड
- 11, श्री बी. के, शर्मा
- 12. श्री बी बी रामा राव
- श्री के एल एन राजू,
 व्यावसायिक विशीष विशेषज्ञ
- 14. श्री बीरा सत्य वेंकट वीरास्वामी व्यावसायिक प्रवंधक
- 15. श्री एम अप्पारात्र

- --प्रान्त्र प्रवेग सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
- अल-भूतल परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
- --सोमा शुस्क विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
- ---भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
- ---रक्षा सेवाएं---नोंपना का प्रतिनिधित्य करने के लिए ।
- --हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन थि. का प्रतिनिधित्व करने हे लिए।
- ---भिनरत्स ए॰ड मैंटल्स ट्रेडिंग कारपोरंशन ऑफ इंडिया लि. का प्रतिनिधिस्य करने के लिए ।
- ---सभितनाक्ष् धिजलो, बोर्डका प्रतिनिधित्य करने के लिए ।
 - –पत्तन में लगे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
 - --- पत्तन में लगे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
 - -- "अन्य हिलों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
- अप्रत्य हितों" का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
- —फैडरेशन ऑफ यांध्र प्रदेश चैंग्वर्स कामम एंड इन्डस्ट्री.
- --हैदराबाद का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।

16. श्री वी एम वी रेड्डी	विशाखापत्तनम चैम्बर्स ऑफ कामर्स का प्रतिनिधित्व करने के
	निए (
17. श्री जी पट्टाभिरामय्या	इंडि यन नेमनत गिर ओकर् र एसो सिएसन का प्रतिनिधिस्य करते
_	के लिए।

2. यह श्रधिमुचना । अप्रैल, 1992 से प्रभावी होगी।

[फा. मं. पी टी-18011/10/91-तो टो] श्रशोक जोगी, मंबुरत सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 1992

G.S.R.391(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government bereby appoints the persons mentioned against serial numbers 1 to 14 in the Table below to be Trustees on the Board of Trustees for the Port of Visakhabatnam and notifies the persons mentioned against serial numbers 15 to 17 in the said Table as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

	TABLE				
ı.	Chairman	_			
2.	Dy. Chairman	_			
<u>.</u> 3.	Principal Secretary Transport, Road, Building Deptt., Govt. of Andhra Pradesh.	-Representing the Govt. of Andhra Pradesh.			
4.	Deputy Sccy (PD)	-Representing the M/s Surface Transport.			
5.	Addl. Collector of Customs, Visakhapatnam.	-Representing the Customs Dept.			
6.	Divisional Railway Manager Waltair, Sourth Eastern Railways.	Representing the Indian Railways.			
7.	Naval Officer-in-Charge, Visakhapatnam.	-Representing Defence Services-Navy,			
8.	General Manager, Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Visakhapatnam.	-Representing the Hindustan Petroleum Corporation Ltd.			
9.	Dy. General Manager, MMTC, Visakhapatnam.	-Representing the Minerals & Metals Trading Cococration of India Ltd. (MMTC).			
10.	Chief Engineer (Coal) Tamil Nadu Electricity Board.	-Representing the Tamil Nadu Electricity Board.			
11.	Sh, D.K. Sharma	-Representing the Labour employed in the Port.			
12.	Su. V.V. Rama Rao	-Representing the Labour employed in the Port.			
13.	Sh. K.L.N. Raju, Professional Financial Expert.	-Representing 'Other Interests'.			
14.	Sh, Veera Satya Venkata Veeraswamy Professional Manager.	-Representing 'Other Interests'.			
15.	Sh. M. Appa Rao	-Representing the Federation of Andhra Pradesh Chamber fo Commerce & Industry, Hyderabad.			
16.	Sh. V.B.V. Reddy	-Representing the Visakhapatnam Chamber of Comnerce, Vizag.			
17.	Sh. G. Pattabhi Ramayya	-Representing the Indian National Shipowners Association.			
	2. This notification shall come into force on the 1st day of A	pril, 1992.			

[F.No.PT—1801]/10/9]—PT] ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

			1
•			
•			